POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 24.01.2025

1.थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा ट्रान्सफार्मर काटकर ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी करने वाले 04 शातिर अन्तर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से 04 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त 02 कार, 11 प्लास्टिक के गैलन तेल से भरे हुए जिनमें लगभग 350 लीटर ट्रान्सफार्मर से चोरी किया गया तेल व ट्रान्सफार्मर के नट काटने वाले उपकरण (01 लोहा काटने का ब्लैड, 01 प्लास, 01 पेचकस, रबर की पाईप करीब 07 मीटर) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.01.2025 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा ट्रान्सफार्मर काटकर ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी करने वाले 04 शातिर अन्तर्राज्यीय चोर 1.सेवेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह 2.विकास सिंह पुत्र भूरी सिंह 3.अंकित पुत्र लखन 4.जगदीश प्रसाद पुत्र हीरा लाल को पर्थला पुल के पास सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त नंबर एचआर 55 ए.क्यू 3540 (स्विफ्ट डिजायर) व यूपी 16 एल.टी 0478 (ओरा), 11 प्लास्टिक के गैलन तेल के जिनमें लगभग 350 लीटर ट्रान्सफार्मर के चोरी का तेल व ट्रान्सफार्मर के नट काटने वाले उपकरण 01 लोहा काटने का ब्लैड, 01 प्लास, 01 पेचकस मय 01 रबर की पाइप करीब 07 मीटर बरामद हुई है। घटना में प्रयुक्त दोनो वाहनों को कब्जे पुलिस लिया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा दिल्ली, गौतमबुद्धनगर व एनसीआर क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर से औजारों के माध्यम से नट व बोल्ट को लोहे की आरी से काटकर पाइप लगाकर ट्रांसफार्मर के तेल चोरी कर गैलन में भरकर उक्त दोनो वाहनों से ले जाते थे। यह लोग ग्राहक खोजकर चोरी छिपे इसे बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है। अभियुक्तों द्वारा नया गैंग बनाकर बिजली से बचाव करते हुए यह कार्य किया जाता था, इनमें से अभियुक्त सेवेन्द्र द्वारा ट्रान्सफार्मर पर चढ़कर लोहे की आरी से टान्सफार्मर के नट व बोल्ट काटकर ट्रान्सफार्मर में रबर की पाईप लगाकर गैलन में ट्रान्सफार्मर का तेल निकाल लिया जाता है। तेल निकालने के बाद ट्रान्सफार्मर से बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है तथा सेक्टरों में बिजली चली जाने पर अव्यवस्था फैल जाती है। इसके बाद अभियुक्त विकास द्वारा तेल से भरे गैलनों को उपरोक्त दोनों वाहनों में रखकर इकट्ठा किया जाता है व कपडे से ढ़क दिया जाता है और ग्राहक खोजकर तेल को बेच देते है। तेल को बेचने का कार्य गैंग के मुखिया जगदीश प्रसाद का होता है, इसमें मुख्य चालक का कार्य अभियुक्त अंकित करता है। इसी के द्वारा तेल को ठिकाने लगाकर रात में चोरी छिपे

तेल को बिकवाया जाता है। घटना में प्रयुक्त दोनो वाहनो को अभियुक्तों द्वारा किराये पर लेकर घटना को अंजाम दिया जाता है।

ट्रान्सफार्मर के तेल की विशेषता-- ट्रान्सफार्मर का तेल उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के माध्यम से प्राप्त होता था जो ट्रान्सफार्मर में डाला जाता था, यह ट्रान्सफार्मर का तेल कूलेन्ट (शीतलीकरण) का काम करता था जिससे ट्रान्सफार्मर पर बिजली का अधिक लोड पडने पर ट्रान्सफार्मर गर्म नहीं होता एंव जलता नहीं है (जिस प्रकार कार में कूलेन्ट कार के इंजन को ठंडा रखता है उसी प्रकार यह तेल ट्रान्सफार्मर को ठंडा रखता है)। ट्रान्सफार्मर से तेल निकालने के बाद ट्रान्सफार्म खराब हो जाता है एंव बिजली सप्लाई बन्द हो जाती है। बिजली विभाग के अनुसार उक्त तेल की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 700 रुपये प्रति लीटर है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सेवेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम नंगला बीच बिजहारी, थाना राया, जिला मथुरा वर्तमान पता ग्राम बरौला, अंकित मेमोरियल पब्लिक स्कूल, थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष।
2. विकास सिंह पुत्र भूरी सिंह निवासी ग्राम नंगला बीच बिजहारी, थाना राया, जिला मथुरा वर्तमान पता ग्राम बरौला, थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष।
3. अंकित पुत्र लखन निवासी ग्राम अजय नगर थाना ककोड जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता सेक्टर-47, थाना सेक्टर-39, जिला गुरूग्राम हरिय़ाणा उम्र 25 वर्ष।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरा लाल निवासी ग्राम गदियानी थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज वर्तमान पता झुंडपुरा सेक्टर-11, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर उम्र 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 303(2)/324(5) बीएनएस थाना फेस-3, सेन्ट्रल नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 32/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3, सेन्ट्रल नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 28/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 39/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 20/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर 113 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना दनकौर, ग्रेटर नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. कार स्विफ्ट डिजायर रजि0 नंबर एचआर 55 ए.क्यू 3540
2. कार ओरा रजि0नं0 यूपी 16 एलटी 0478

3. 11 प्लास्टिक के गैलन तेल के जिनमें लगभग 350 लीटर ट्रान्सफार्मर का चोरी का तेल जिसकी बाजार अनुमानित कीमत लगभग 2,50,000 रुपये है।
4. ट्रान्सफार्मर के नट काटने वाले उपकरण (01 लोहा काटने का ब्लैड, 01 प्लास, 01 पेचकस, 01 रबर की पाइप लम्बाई करीब 07 मीटर)
5. 04 अवैध चाकू।

2.थाना बिसरख पुलिस द्वारा जमीन/फ्लैट बैचने के नाम पर ठगी कर करोडो रूपये का गबन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये एक अभियुक्त व एक महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.01.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्ता गीता यादव को उनके निवास स्थान गाजियाबाद से तथा अजय कुमार को उसके आफिस ग्राम पतवाडी से **गिरफ्तार** किया गया है। अन्य साथी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त अजय कुमार तथा अभियुक्ता गीता यादव के द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर ग्राम पतवाडी के खसरा संख्या 1162 की जमीन पर फ्लैट बनाकर फ्लैट देने के नाम पर कई लोगो से करोडो रूपये लेना एवं ना ही फ्लैट देना एवं ना ही उनके पैसे वापस करना के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर आवेदको के प्रार्थना पत्र पर अभियोग दर्ज किये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अजय कुमार उर्फ टीटू पुत्र श्री राज सिंह निवासी ग्राम छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 43 वर्ष
2. गीता यादव पत्नी वेदपाल यादव निवासी ग्राम पतवाडी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर हालपता राकेश मार्ग नेहरु नगर पॉकेट गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

A.गीता यादव--

1. मु0अ0सं0 890/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 891/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0सं0 892/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 893/24 धारा 318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 894/24 धारा 318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं01121/2018 धारा 188/288/420 भादवि0 व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 187/2019 धारा 420/406/120बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

B.अजय कुमार उर्फ टीटू--

1. मु0अ0सं0 890/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 891/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 892/24 धारा 191(2)/318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 893/24 धारा 318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 894/24 धारा 318(4)/338(3)/336(3)/340(2)/316(5)/351(3)/111 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं01121/2018 धारा 188/288/420 भादवि0 व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 720/2018 धारा 66 आईटी एक्ट व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 बीटा-2 गौतमबुद्धनगर